न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 240/2023

अनवान : –

1. रसीदा पुत्री मेहरदीन जाति कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. रफीक पुत्र मेहरदीन जाति कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. रोशन पुत्र मेहरदीन जाति कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. हनीफ पुत्र गनी खां जाति कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. जुलेखा उर्फ जुलरंग पुत्री गनी खां जाति कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत
धारा 212(2)आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री भरतसिंह बैनीवाल अधिवक्ता **सायल**
2. श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता गैरसायल

निर्णय दिनांकः 18/11/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है की सायला ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थाश काश्तकार अधिनियम की धारा 212 (2) के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 1 एनएचआर (ए) तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076 के खाता संख्या 177/173 के प० नं० 307/437 (43) के किला नं की 0.253 है. 14–17 की 1.012 है०. 24–25 की 0.506 है० प० नं0 308/435 (18) किला नं 3 ता की 1.518 है० प० नं० 308/437 (42) किला नं. 21 की 0.253 है० कुल तादादी 3.2890 है० भूमि में सायला का 1/7 हिस्सा, गैरसायल संख्या 1 का 1/7 हिस्सा. गैरसायल संख्या 2 का 1/7 हिस्सा. गैरसायल संख्या 3 का 3/7 हिस्सा. गैरसायल संख्या 4 का 1/7 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है एवं चक 1 एनएचआर ए तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076 के खाता संख्या 178/174 के प० नं० 306/437 (44) किला नं. 25 की 0.253 है० प० नं० 306/438 (57) के किला नं. 5/1 की 0. 025 . 5/2 की 0.177 है0, 5/3 की 0.026 है0, 5/4 की 0.025 है० प० नं० 307/437 (47) किला नं. 18 ता 23 की 1.5180 है० प० नं0 307/430 (58) किला नं. 1/1 की 0.025 है0, 1/2 की 0. 228 है० कुल 2.2770 है० भूमि सायला का 1/7 हिस्सा, गैरसायल संख्या 1 का 1/7 हिस्सा. गैरसायल संख्या 2 का 1/7 हिस्सा, गैरसायल संख्या 3 का 3/7 हिस्सा, गैरसायल संख्या 4 का 1/7 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है।

सायला व गैरसायलान विवादित भूमि को मुश्तरका ही अपने हक हिस्सा व कब्जा के अनुसार ही काश्त करते है एवं रकम राज अदा करते आ रहे हैं। विवादित भूमि का खाता व लगान मुश्तरका होने के कारण हमेशा सींव, लगान व काश्त से सम्बन्धित विवाद रहता है तथा लड़ाई झगड़े की सम्भावना बनी रहती है तथा आपस में तनाजात रहता है इसलिए सायला वादग्रस्त कृषि भूमि में अपने हक हिस्सा की भूमि [illegible]ाबिक किस्म के अनुसार अच्छी में से अच्छी व घटिया में से घटिया के [illegible] [illegible] की खाता व लगान अलग अलग तकसीम करवा पाने की अधिकारी है। विवादित भूमि सायला को अप[illegible] से प्राप्त हुई है सायला औरत जात है अपनी भूमि को स्वयं काश्त नही कर सकती है इसलिए अपने हिस्से

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 11:56:21 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

की कृषि भूमि हिस्से ठेके काश्त करने के लिए देती है सायला स्वयं बिमार रहती है जिस कारण स्वयं खेत की देखभाल –कर सकती इसलिए सायला की मजबूरी का फायदा उठाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 सायला तंग परेशान करते रहते है तथा सायला के औरत जात होने का नाजायज फायदा उठाने के खड़ी फसल बर्बाद कर देते है जिससे सायला का हक हिस्सा सुरक्षित नहीं है इसलिए सायला हक हिस्सा की भूमि का रिसिवर नियुक्त करवाने की अधिकारी है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर रोही मौजा चक 1 एनएचआरए तहसील नोहर के खाता स0 177 / 173 की कुल 3.2890 हैक्ट व खाता स0 178 / 174 की कुल 2.2770 हैक्ट भूमि में सायल के कब्जा काश्त में दखल न देवे एवं सायला के हिस्सा की भूमि को कुर्क कर तहसीलदार नोहर को रिसिवर नियुक्त किया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण को ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की उक्त वाद भूमि बाबत माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रकरण जैरकार है एवं जिसमें स्थगन आदेश जारी है इसलिए जब तक राजस्व मण्डल अजमेर में प्रकरण जैरकार है तब तक खाता विभाजन नही किया जा सकता है।

बहस अधिवक्ता वकील प्रार्थी सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता वकील प्रार्थी की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का अवलोकन किया। प्रकरण मे प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार उक्त भूमि सायला व गैरसायलान के नाम मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। सायला द्वारा अपने हिस्से भूमि को रिसिवर नियुक्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया है प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण द्वारा उसके हक हिस्सा की भूमि पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे है एवं प्रार्थीया की खड़ी फसल को बर्बाद भी किया जा चुका है लेकिन अपने कथनों के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया है जिससे अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थी की फसल को खुर्द बुर्द किया गया हो। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुत चित्रप्रति अनवानी रोशन बनाम रसीद वाद स0 2025 / 263 के मुताबित माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा उक्त वाद भूमि बाबत द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया है अर्थात न्यायालय हाजा से उच्चतम स्तर के न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया है इसलिए न्यायालय हाजा द्वारा कोई आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबूतों के अभाव में खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप सायला का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212(2)(1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम साक्ष्य सबूतों के अभाव में स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 18/11/25 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 11:36:21 IST
Reason: SelfAttested